छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email: - office.rera.cg@gov.in Website: - https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक– 47/रेरा/2020/857 दिनाँक 19/08/2020,

//परिपत्र//

विषय :– वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2018–19 प्रस्तुत करने पर विलंब शुल्क देने के संबंध में।

-----00-----

भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4 (2)(L)(D) में प्रमोटर्स द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर अपने खातों की व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से लेखा (Audit) कराने तथा उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित तथा हस्ताक्षरित लेखों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। प्राधिकरण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक लेखा परीक्षण अपलोड करने की अंतिम निर्धारित तिथि दिनाँक 31.12.2019 रखी गई थी तथा निर्धारित अवधि में वार्षिक लेखा परीक्षण (ऑडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिदिवस रूपये 500/– अधिरोपित किया गया है।

कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार की रोकथाम हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत दिनाँक 25.03.2020 से विभिन्न चरणों पर लाकडाउन की स्थिति होने के कारण सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नियमित कार्य विपरीत रूप से प्रभावित रहा है। प्राधिकरण द्वारा लाकडाउन अवधि (25 मार्च–31 मई) में विलंब शुल्क में छूट प्रदान की गई थी। किन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नियमित कार्य भी अपनी सामान्य गति से चालू नहीं होने के समाचार प्राप्त हो रहे है। अतः ऐसी परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैः–

1. छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक–34 दिनाँक 26.11.2019 के माध्यम से वर्ष 2018–19 का वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 31.12.2019 नियत की गई थी तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रतिदिवस रूपये 500/– विलंब शुल्क देय है। अब प्राधिकरण द्वारा लिये गये अद्यतन निर्णय अनुसार लाकडाउन घोषित होने की दिनाँक 25.03.2020 से दिनाँक 30.09.2020 तक विलंब शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। अर्थात् प्रमोटर्स को केवल दिनाँक 01.01.2020 से दिनाँक 24.03.2020 तक (अर्थात् कुल 84 दिवस, प्रतिदिवस 500/– रूपये) की अवधि हेतु कुल विलंब शुल्क राशि रूपये 42,000/– देय होगा।

2. ऐसे प्रमोटर जिनके द्वारा पूर्व से वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट के विलंब शुल्क भुगतान के साथ अपडेशन कर लिया गया है, उन पर उपरोक्त उल्लेखित अवधि के अलावा अधिरोपित विलंब शुल्क वापस किये जायेंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
3. वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट के विलंब शुल्क में छूट दिनाँक 30.09.2020 तक मान्य है। उक्त तिथि पश्चात् अपडेशन की स्थिति में पूर्वानुसार प्रतिदिवस विलंब शुल्क यथावत देय होगा।

(मान. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार 13/8/2020
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर,